

**स्थानीय प्रशासन में सुशासन का मूल्यांकन (सूचना के अधिकार के संदर्भ में)****डॉ. एस.पी. शुक्ला**प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग  
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय,  
रीवा**निकिता जैसवाल**शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र  
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय,  
रीवा**शोध सारांश**

सुशासन तीसरी दुनिया और विकासशील राष्ट्रों के सम्बन्ध में विशेष रूप से एक फैशनेबल शब्द है। सुशासन का ध्यान कम शासन और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह विकेंद्रित शासन व्यवस्था और संसाधनों के आवंटन के माध्यम से लोगों की शासन में अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। एक सच्चे लोकतंत्र की शक्ति जन सहभागिता के स्तर पर निर्भर करता है। निर्णय लेने वाले निकायों तक लोगों की पहुँच का स्तर क्या है, उनके स्वतंत्रता, सम्पत्ति तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता सम्बन्धित उनके मूलभूत अधिकार के स्तर क्या हैं इस बात पर निर्भर करता है। एक लोकतांत्रिक समाज में शासन की प्रभावकारिता निर्णयन के स्तर पर लगातार हो रहे पब्लिक-प्राइवेट डायकोटोमी पर निर्भर करता है। इस प्रकार सुगम्यता अथवा लोगों की संसाधनों तक पहुँच सुशासन के समस्त प्रयासों की कुन्जी है। २१वीं शताब्दी के ई-केन्द्रित वैश्विक समाज ने आधुनिक राज्य प्रणाली के समक्ष नवीन चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। शासन में पारदर्शिता लोकमुखोपेक्षिता, ई-गवर्नेंस कुछ ऐसे शब्द बन्ध हैं जिन्हें सुशासन के प्रतिस्थापन के रूप में गढ़ा जा रहा है। शासन की सफलता सेवाओं के वितरण में दक्षता और अंतरसामूहिक सम्बन्धों के विनियमन में निहित है। अधिक शासन और लोक कल्याण को कम शासन और अधिक लोक कल्याण द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र सुशासन के मूल्यांकन और उसकी प्रभाविता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द—सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस, ई-शासन, जनोन्मुखी प्रशासन, जनसहभागिता, जनभागीदारी

**Introduction**

सुशासन एक गत्यात्मक बहुआयामी प्रक्रिया है क्योंकि शासन करने की प्रक्रिया में केवल सरकार के अंग ही भाग नहीं लेते बल्कि विभिन्न अंग भाग लेते हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश पर उसका प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण के कारण सरकार की भूमिका में कमी आ गयी और गैरसरकारी संगठनों की भूमिका में वृद्धि हुई। विश्व बैंक ने स्पष्ट किया कि सुशासन एक मूल्य सापेक्षिक अवधारणा है क्योंकि प्रत्येक शासन सुशासन नहीं हो सकता। केवल एक

विशेष प्रकार के शासन को सुशासन कहा जा सकता है। विधि का शासन, जनता की भागीदारी, स्वतंत्र न्यायपालिका, मानवाधिकार व प्रजातंत्र, राजनीतिक व प्रशासनिक जवाबदेहिता एवं खुलापन, सतत विकास एवं प्रशासनिक दक्षता व गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, प्रशासन की संवेदनशीलता आदि।

सुशासन/अभिशासन/बेहतर शासन/उत्तम शासन/गुडगवर्नेंस परस्पर पर्यायवाची है, सुशासन का विचार सर्वथा नवीन नहीं है, किन्तु एक सिद्धांत के रूप में राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य उपकरण के रूप

में अभिशासन आज की मान्यता अनुसार एक नई अवधारणा है। वर्तमान युग में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व यूनेस्को के प्रतिवेदनों UNO स्वैच्छिक संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा इस शब्द के व्यापक प्रयोग का प्रारंभ हुआ और, नये सिरे से इन संस्थाओं द्वारा सुशासनकी दिशा में विमर्ष को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

प्रस्तुत शोध स्थानीय प्रशासन में सुशासन की समस्या का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। सुशासन में सूचना का अधिकार एक सशक्त माध्यम है। सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में सुशासन की प्रभाविता एवं उसके क्रियान्वयन स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में करने का प्रयास किया गया है।

आधुनिक लोक प्रशासन की शब्दावली में यह शब्द १९९० के दशक में प्रविष्ट हुआ विश्व बैंक रिपोर्ट १९९२ में सुशासन की नयी अवधारणा विकसित की गई। विश्व बैंक ने अपने दस्तावेज Governance and Development (1990) में सुशासन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया जिसमें शासन शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के विकास के लिए तथा राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों को प्रबंध करने के लिए किया जाता है<sup>१</sup>। 'सुशासन का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग १६२८ में हुआ तथा १७०१ में संक्षिप्त रूप से यह संतुलित तौर पर एक लोकोक्ति के रूप में परिलक्षित हुआ— "एक बुद्धिमान राजा को शासन नहीं बल्कि अभिशासन की ओर प्रेरित होना चाहिए।"<sup>२</sup>

'साधारण शब्दों में सद्शासन का आशय समस्त जनता के हित के लिए कार्य करना है सद्शासन एक विशेषण के तरह की अभिव्यक्ति है जिसमें कुछ मूल्यों को धारण किया जाता है जबकि शासन एक मूल्यहीन प्रबंध करने की प्रक्रिया है। आर. एन. प्रसाद (२००२)ने लिखा है कि शासन शब्द का अर्थ सरकार से कही अधिक व्यापक है<sup>३</sup>। शासन और अभिशासन सुशासन दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, इसी प्रकार शासन और सरकार परस्पर भिन्न अर्थ देने वाले विचार हैं।

**'मिनोचा के शब्दों में—**"सद शासन वह है जहाँ राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, कानूनपालक नौकरशाही, उत्तरदायित्व, सूचना में पारदर्शिता, जो प्रभावी एवं कुशल और सरकार तथा समाज में सहयोग दे।"<sup>४</sup>

"किसी सरकार की अच्छाई को देखने का एक तरीका है कि वह शासन चलाने में कितनी अच्छाई को काम लेती है।"<sup>५</sup>  
"अच्छा शासन समाज के बुनियादी मूल्यों की पहचान है और इसके पालन करने से संबंधित है।"<sup>६</sup>

**'पनन्दीकर के शब्दों—**"सद शासन का आशय उस राष्ट्र राज्य से है जो जनता को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित, समृद्ध उचित, सहभागितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए निर्देशित करता है।"<sup>७</sup> 'सुशासन का तात्पर्य शासन संचालित करने की कार्य और रीति और है जबकि शासन अन्य बातों के साथ—साथ राज्य जनता आदि पर सत्तापूर्ण नियंत्रण तथा संगठन आदि की नीति और कार्यक्रमों को संचालित करना है।"<sup>८</sup> ECOSOC (सामाजिक आर्थिक आयोग)

के अनुसार—सुशासन सामाजिक आर्थिक पहलू को शासन से जोड़ता है सहमति उन्मुख—विविधता वाला समाज विविधता होते हुए भी सहमति बनी रही। सरकार जनता के बीच की दूरी कम हो रही है<sup>१</sup>।

**‘विश्वबैंक के दस्तावेज १९९२ के अनुसार—** किसी देश के विकास हेतु आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में प्रयुक्त शक्ति का आशय शासन से है<sup>२</sup>।’ **रैने डिसकार्टेस ने कहा—**“सुशासित राज्य वही है जिसमें नियम भले ही कम हो लेकिन उन पर अमल कठोरता से किया जाता है<sup>३</sup>।”

सुशासन को व्यवस्थित और प्रभावी रूप में लाने का श्रेय विश्व बैंक आई.एम. एफ., ओ.ई.सी.डी., यूनेस्को जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिया जाता है। इसकी व्यवस्थित शुरुआत १९८९ में विश्व बैंक द्वारा की गई। १९९२ में विश्वबैंक ने “गवर्नेन्स एण्ड डेवलपमेंट” नामक प्रतिवेदन में सुशासन को सामाजिक आर्थिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु सत्ता के प्रयोग से जोड़ा तथा इसमें राजनीतिक उत्तरदायित्व, बहुपक्षीय भागीदारी, विधि का शासन एवं मानवाधिकार संरक्षण, सभ्य समाज के मध्य रचनात्मक संबंध को शामिल करते हुए सुशासन के फलक को विकसित किया। १९९७ UNDPने सुशासन को राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक तीन क्षेत्रों से संबंधित किया<sup>४</sup>। यूनेस्को ने सुशासन के अन्तर्गत जबाबदेहिता व पारदर्शिता, समता, लोकतंत्र तथा भागीदारी को शामिल किया है। विकासशील देशों में आर्थिक सुधार व अनुदान प्राप्त कार्यक्रमों की प्रारंभिक असफलता ने ब्रेटनवुडस संस्थाओं को इन

देशों की शासन व्यवस्था के बारे में सोचने पर मजबूर किया और ये संस्थाएं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि उदारीकरण व विकास के कार्यक्रम उसी स्थिति में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जबकि इन देशों में न सिर्फ शासन हो बल्कि अच्छा शासन हो, जो कि अनुक्रियाशील उत्तरदायी, दक्ष व प्रभावी हो<sup>३</sup>।

इस प्रकार सुशासन से आशय ऐसी सरकार है जो जनसाधारण के हितों की उचित समय पर प्रभावशाली ढंग से रक्षा कर सके, साथ ही सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कुशल सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर सके। सुशासन की अवधारणा ई शासन के साथ जुड़ी हुई है। जिसे आज कल ‘स्मार्ट शासन’ कहा जा रहा है। जिसका अर्थ है— ई-शासन, जनोन्मुखी प्रशासन, जनसहभागिता, जनभागीदारी<sup>५</sup>।

S- SMALL (नौकरशाही का आकार कम करना)

M- Moral (प्रशासन में नैतिकता स्थापित करना)

A- Accountable (लोक सेवाओं में जवाबदेहिता लाना)

R- Reliable (जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करना)

T- Transparent (सरकारी नीति निर्णय कार्य सेवाओं में पारदर्शिता लाना)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सन् १९९६ सुशासन के निम्नलिखित मानक तय किये (१) कानून का शासन (२) कार्यकुशलता में वृद्धि (३) जवाबदेही (४)



भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन (५) वित्तीय कुशल प्रबंधन का होना आवश्यक है<sup>१५</sup>।

विश्व बैंक ने १९९२ में अपने प्रतिवेदन में आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के नियंत्रण की जरूरत बतायी। विश्व बैंक की रिपोर्ट (१९९२) में गवर्नेन्स की नई अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। गवर्नेन्स में व्यक्ति, संस्थाएं, सार्वजनिक एवं निजी संयुक्त रूप में शामिल होते हैं। 'ओसर्बन तथा गैबलर ने गवर्नेन्स की अवधारणा स्पष्ट करते हुए गुड गवर्नेन्स का लक्ष्य कम कीमत तथा अच्छा कार्य है<sup>१६</sup>।

विश्व बैंक ने पहली बार १९८९ में विकसित और विकासशील देशों में गुड गवर्नेन्स के सात पैरामीटर निर्धारित किए।

- (१) राजनीतिक जवाबदेही
- (२) संघ बनाने एवं सहभागिता की स्वतंत्रता
- (३) कानून का शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका
- (४) जबाबदेही विनौकरशाही
- (५) सूचना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- (६) सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था
- (७) सरकार एवं सिविल सोसायटी के मध्य बेहतर तालमेल<sup>१७</sup>

सामान्य अर्थों में सुशासन से तात्पर्य जनता के प्रति उत्तरदायी एक अच्छे शासन से है। व्यवहार में इसका संबंध उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का मौका मिले।

नागरिक समाज से तात्पर्य सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह तथा सामाजिक उद्देश्य से निर्मित सहकारी संगठन नागरिक समाज के उदाहरण हैं।

यदि विकसित देशों की तुलना में विद्यमान सुशासन की स्थिति का मूल्यांकन किया जाये तो भारत में सुशासन की स्थिति निम्न दिखाई देती हैं २०१४ के चुनाव के पश्चात् भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन दिखाई पड़ा। इस परिवर्तन की मुख्य धारा यह थी कि लगभग ३ दशकों के पश्चात् भारत में किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। इस सरकार ने 'Minimum Government & Maximum Governance' का नारा दिया। सुशासनकी स्थापना करने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी पर बल दिया इसलिए सरकार ने प्रौद्योगिकी से युक्त डिजिटल इंडिया, स्टार्टप इंडिया, मेंकिंग इंडिया, स्किल इंडियाजैसी योजनाओं को शुरू की जिससे शासक और शासित के मध्य दूरिया कम हो सके।<sup>१८</sup>

जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन की आवश्यकता एवं सेवाओं का प्रभावी निष्पादन स्थानीय स्तर पर सक्षम एवं विकासशील प्रशासन का महत्वपूर्ण साधन है। जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन की आवश्यकता राज्य का मजबूत आधार है। स्थानीय प्रशासन के प्रभावी कार्य निष्पादन की आवश्यकता स्थानीय स्तर पर विकास एवं स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।

स्थानीय प्रशासन को जानने से पहले शासन और प्रशासन के बीच प्रमुख अंतर को जानना आवश्यक हो जाता है। शासन शब्द सरकार के क्रियाकलाप से संबंधित है प्रशासन शासन के कार्यों को लागू कराने का कार्य करता है। प्रशासन और शासन अंतर्संबंधित है। शासन में निर्वाचित लोग होते हैं। जबकि प्रशासन में चयनित लोग होते हैं। इस प्रकार शासन राजनीतिक होता है जबकि प्रशासन गैर राजनीतिक अर्थात् सरकारी मशीनरी होता है। इस प्रकार बिना प्रशासन के कोई शासन नहीं हो सकता है और बिना शासन के कोई प्रशासन नहीं हो सकता है। एस.एस. खेरा लिखते हैं—“स्थानीय प्रशासन निर्धारित प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध को कहते हैं<sup>१९</sup>।”

विकास एवं जनकल्याण हमेशा से स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं केन्द्र सरकार के निर्देशन पर पहले विकास प्रयास ‘सामुदायिक विकास योजना’ के रूप में जिला प्रशासन के जाय जोड़ा गया<sup>२०</sup>।

शुभारत में (SMART, Moral, Accountable Responsive and Transparent) नैतिक, उत्तरदायी, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार की संकल्पना को प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम इसका महत्वपूर्ण उपादान है<sup>21</sup>। A Global Information Technology Report 2003-04 में Electronic Governance का प्रयोग सूचना की उपलब्धता के संदर्भ में करने को कहा गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हो, इस पर भी बल दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास

ने सूचनाओं तक सार्वजनिक पहुँच को आसान बनाया है<sup>२२</sup>।

शरिचर्ड जेफरिज के अनुसार, “सुशासन ऐसा उद्देश्योन्मुख और विकासोन्मुख प्रशासन है जो जनता के जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रतिबद्ध हो।” वे कहते हैं कि सुशासन के लिए लोकतांत्रिक होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है<sup>२३</sup>।’

विश्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन ‘गवर्नेन्स एण्ड डेवलपमेंट’ (१९९२) में सुशासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया इस रिपोर्ट के अनुसार—शासन से आशय सत्ता प्रयोग करने के वे तरीके हैं जो कोई देश अपने सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन में प्रदर्शित करता है।

इस शासन को सुशासन होने के लिए बैंक ने ३ कसौटियों का उल्लेख किया—

- (१) सत्ता का स्वरूप राजनीतिक सत्ता का प्रारूप या पद्धति जैसे प्रजातंत्र, सैनिक, निरंकुश तंत्र इत्यादि।
- (२) सत्ता प्रयोग के तरीके या प्रक्रिया जिसके अनुसार आर्थिक सामाजिक विकास हेतु सत्ता का प्रयोग किया जाता है।
- (३) सक्षमता अपने कार्यों के निष्पादन में सरकार की सक्षमता।

Global Information technology Report 2003-2004 esa Electronic Governance का प्रयोग सूचना उपलब्धता के संदर्भ में करने को कहा गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हो इस पर बल दिया गया है<sup>३</sup>। सुशासन अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें प्रशासनिक सक्षमता, राजनीतिक प्रणाली,

राज्य की विकास अवस्था सभी कुछ शामिल है। सुशासन की अवधारणा की महत्ता इसलिए है कि कुशासन के लक्षण आसानी से परिलक्षित हो जाते हैं।

सुशासन(Good Governace) का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग सन् इंग्लैण्ड में १६२८ में हुआ तथा १७०१ में संक्षिप्त रूप से यह संतुलित तौर पर एक लोकोक्ति या अवलोक कथन के रूप में परिलक्षित हुआ। सुशासन का अर्थ है 'अच्छा शासन' या अभिशासन जो कुशासन से मुक्ति तथा विधि के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कानून का शासन स्थापित करता है।

सब सहारा अफ्रीकी राज्यों से संबंधित विश्वबैंक के १९८९ के दस्तावेज में 'सुशासन' की अवधारणा का उल्लेख 'ठोस विकास प्रबंध' के परिप्रेक्ष्य में किया गया है<sup>२४</sup>। १९९७ में UNDPने सुशासन को राजनीतिक आर्थिक व प्रशासनिक तीन क्षेत्रों से संबंधित किया। यूनेस्को ने सुशासन के अंतर्गत जवाबदेहिता व पारदर्शिता समता लोकतंत्र तथा भागीदारी को शामिल किया है।

उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, विश्वनीयता, विधि का शासन आदि सुशासन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अतः प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत हैं— समानता, न्याय, संपन्नता, लोकतंत्र तथा इन्हे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता।

**सुशासन में सूचना का अधिकार**

सूचना का अधिकारउत्तम शासन की एक बुनियादी जरूरत है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुने हुये व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और अपेक्षा

करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है<sup>२५</sup>। ऐसी परिस्थितियों में सूचना का अधिकार को भागीदारी पूर्ण प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने और लोक केंद्रित अधिशासन की शुरूआत करने की एक कुंजी के रूप में देखा जा सकता है।

भारतीयसंविधान के अनुच्छेद १९ (१) (क) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को प्रत्याभूत करता है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ के विवाद में अपने अंतिम निर्णय में न्यायमूर्ति वेंकटचलैया द्वारा सूचना के अधिकार की स्वीकार किया गया है। प्रशासनिक तंत्र में दक्षता लाने में इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारदर्शिता एवं लोकमुखोपेक्षिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शासन तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित किया जाए।

सूचना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का पहलू है, जिसमें सूचना को प्राप्त करने और एकत्रित करने का अधिकार शामिल है<sup>२६</sup>। सूचना के अधिकार की आवश्यकता को न केवल भारत वरन व्यापक रूप से देश के सभी क्षेत्रों में महसूस किया गया है। पारदर्शिता की कमी सभी व्यापक भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों में से एक है, सूचना का अभाव लोगों को पूर्ण रूप से अपनी अन्तः शक्ति का विकास करने और अपने मानवीय अधिकारों के पूर्ण क्षेत्र को अनुभव करने के अवसर से वंचित करता है। जस्टिस मैथ्यू ने अपने एक फैसले में कहा था— "सरकार या उसके किसी अधिकारी



द्वारा सार्वजनिक ढंग से किये गये किसी भी सार्वजनिक कार्य के बारे में जानने का अधिकार देश के हर व्यक्ति को है। ऐसे कार्य की बारीक से बारीक चीजों को जानने का हक है<sup>२७</sup>।”

वस्तुतः निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लोगो से जुड़ाव में सहायक होती है। प्रशासन में पारदर्शिता से तात्पर्य है सरकार के कार्यकलापों के बारे में आम जनता को जानकारी की सुस्पष्टता एवं उपलब्धता। सामान्यतः पारदर्शिता को जनता तक सूचना की पहुंच समझा जाता है परन्तु यह सूचना की पहुंच तक सीमित नहीं है, यह उससे कही आगे है यह लोकतंत्र का आधारसूत्र है। जिसकी मान्यता है कि लोगों का विवेक और ज्ञान शासन के तंत्र को कुशल बनाए रख सकता है<sup>२८</sup>।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (२००२) ने समय-समय पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्मर्स का है जिसमें नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों के शैक्षणिक योग्यताओं संपत्तियों और अपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना प्राप्त करना है। सन् २००३ से विभिन्न राज्य सरकारों में अपने-अपने राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किए। १५ जून २००५ को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। अधिनियम की कुछ धाराएं १५ जून २००५ को लागू हो गईं और कुछ धाराएं १२० दिन बाद १२ अक्टूबर २००५ को लागू हुईं<sup>२९</sup>।

### सुशासन में सूचना क्रांति

सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत नागरिकों के सहयोग से प्रशासन व्यवस्था को स्थापित करना आसान हो गया जिससे जनता की शासन तक पहुंच आसान हो गई है। प्रशासन में सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं<sup>३०</sup>।

१. ई-गवर्नेंस
२. नागरिक चार्टर
३. ई-चौपाल
४. सूचना एवं सुविधा केन्द्रों की स्थापना।
५. प्रशासन में जनता की भागीदारी
६. शिकायत निवारण संस्थाएं।
७. एकल खिड़की सेवा
८. आर.टी.आई.

भारत सरकार के द्वारा सरकारी काम में पारदर्शिता और सभी सरकारी सेवाएं जनसामान्य को तत्काल पहुंचाने के लिए २००६ में राष्ट्रीय ई शासन योजना के तहत पूरे देश में साझा सेवा केन्द्र स्थापित किए गए। यह शासन (अच्छे शासन) का पर्याय बनता जा रहा है। ई-गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार कम करना सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता लाना, ज्यादा से ज्यादा जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार करना और सरकारी कार्य की गति बढ़ाना आदि प्रमुख है।

ई-गवर्नेंस ४ प्रकार की होती है।

1. G2G . (सरकार से सरकार)
2. G2C . (सरकार से नागरिक)
3. G2B . (सरकार से बिजनेस)
4. G2E . (सरकार से कर्मचारी)

सुशासन के प्रयास में सूचना क्रांति ने एक शक्तिशाली उपकरण का कार्य किया है ई—शासन के माध्यम से शासन को सरल, नागरिकोन्मुख, पारदर्शी जवाबदेही एवं त्वरित बनाया जा रहा है। ई—गवर्नेंस की प्रमुख पहल को प्रत्येक राज्यों में देखा जा सकता है यह सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जैसे— अक्षय, समुदाय सूचना केन्द्र, भूमि, कार्ड, ई—सेवा, कियोस्क प्रोजेक्ट, हेडस्टार्ट, लोकमित्र आदि। ये सभी अलग—अलग राज्यों में की गई नई—नई पहल है। विभिन्न प्रकार के ऐप द्वारा जनता की सरकार तक पहुंच को आसान बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे भीम ऐप, उमंग ऐप, डिजिटल इंडिया ऐप, कन्ज्यूम ऐप, माई गांव डाट इन ऐप, रक्षक ऐप आदि।

स्थानीय प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए तथा सरकार की जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए समय—समय अनेक प्रयास होते रहे हैं। जिससे प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके और इससे एक उत्तरदायित्वपूर्ण एवं पारदर्शी प्रशासन की स्थापना की जा सकती है। जो सुशासन की आवश्यक शर्त है शासन द्वारा चलने वाली विभिन्न योजनाएं जनता तक आसानी से पहुंच सके तथा जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुये उनके हितों एवं कल्याण के लिए कार्य करें गुन्नार मिडल जैसे विद्वानों की मान्यता है कि भारत एक नरम राज्य है। जहां लोकतंत्र के नाम पर बहुत सारी अनियमितताएं स्वीकार्य हो गई हैं। राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में न तो समाज सुसभ्य

होता है और न ही प्रशासन प्रभावशील दिखाई दे रहा है।

### केन्द्रीकृत लोकशिकायत निवारण तंत्र

सुशासन के लिए जितना महत्वपूर्ण जनता की हितग्राही योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुंच में आनेवाली समस्याओं के निदान की प्रक्रिया का सुलभ होना है; सूचना और संचार क्रांति ने जहाँ हितग्राही योजनाओं तक आमजन की पहुंच को आसान बनाया है वहीं इन योजनाओं में आने वाली विसंगतियों के निवारण हेतु ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी कराई है, शासन द्वारा अपने स्तर से हितग्राहियों को सूचना विस्तारण के माध्यमों से जागरूकता लाने का प्रयास भी हुए हैं, स्थानीय प्रशासन जितना लोकमुखोपेक्षी होगा सूचनाओं एवं जानकारीयों की पहुंच उतना ही सुगम होगा। शासन द्वारा प्रभावी शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया पर एक दृष्टिपात आवश्यक है।

### केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निवारणी प्रणाली (CPGRAMS)

भारत सरकार ने भी जनशिकायतों के निवारण के लिए इंटरनेट आधारित केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निवारणी प्रणाली (CPGRAMS) की स्थापना की है। यह प्रणाली ऐसी वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित है जिसका लक्ष्य देश के किसी भी हिस्से से किसी भी वक्त किसी भी मंत्रालय/विभाग/संगठन से संबंधित शिकायत डालने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस प्रणाली के अन्तर्गत उन शिकायतों को नहीं लिया जाता जो या तो अदालत के



विचारधीन लंबित हो, निजी अथवा पारिवारिक विवाद हो, आर.टी.आई. से संबंधित मामले हो<sup>३१</sup>।

**डी.ए.आर.पी.जी. और सेवोत्तम**

डी.ए.आर.पी.जी. ने एक फ्रेमवर्क विकसित किया है जिसे सेवोत्तम कहा जाता है। जिसका मतलब अनिवार्य रूप से सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता है। डी.ए.आर.पी.जी. एक मानकीकृत वेब आधारित समाधान और एकीकृत एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन, डाक द्वारा या हाथोहाथ प्राप्त शिकायतों का पंजीयन और निदान करने के लिए है। इस समय १३९ मंत्रालय/विभाग/राज्य केन्द्र शासित प्रदेश और अन्य शीर्ष संगठन सी.पी.ग्राम्स से जुड़े हैं। नौ राज्यों के सरकारी विभागों में स्थानीय भाषा इंटरफेस के साथ शुरू की गई है। सी.पी.ग्राम्स द्वारा विभाग को जो शिकायतें प्राप्त होती है उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया जाता है। शिकायतों का निवारण संबंधित विभागों द्वारा विकेन्द्रीकृत तरीके से किया जाता है।

**my.gov.in** एक अद्वितीय और अत्याधुनिक प्रशासनिक पहल है जिसमें व्यापक स्तर पर आम नागरिकों की भागीदारी है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने २०१४ में की थी। यह मंच अब सूचनाओं के प्रसारण और जनता की राय होने का एक अभिन्न अंग है। यह देश की शासन प्रक्रिया में नागरिकों को एक आवाज प्रदान करता है और उनके लिए एक समान रूप से हितधारक बनने का आधार तैयार करता है, जिनमें कार्यकारी कार्यों के जरिए क्रियान्वयन शामिल है। माय गाँव का अनुमान है कि १७.८ लाख से ज्यादा उपयोगकर्ता इसमें

भागीदारी करते हैं जबकि कार्यों का एजेन्डा बनाने हेतु प्रगति के लिए प्रति सप्ताह इसे दस हजार से अधिक पोस्ट मिलते हैं<sup>३२</sup>।

**सिटीजन्स चार्टर—**

सिटीजन्स चार्टर सुशासन का एक अन्य महत्वपूर्ण जरिया है यह सरकारी विभाग द्वारा तैयार एक लिखित शासनादेश है जो सेवा डिलीवरी के मानकों को रेखांकित करता है जिनमें उपभोक्ताओं की पसंद की उपलब्धता, शिकायत निवारण के अवसर एवं अन्य संबंधित जानकारियों शामिल है। इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को आपूर्ति आधारित सेवा के बजाए मांग आधारित सेवा बनाना है।

**www.goicharter.nic.in** एक पोर्टल है जिस पर केन्द्र सरकार और राज्य के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सिटीजन्स चार्टर अपलोड किये गये हैं। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग के राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स डिवीजन के अनुमानों के मुताबिक, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकार द्वारा ३५०० से ज्यादा विभिन्न ई-सेवाएं दी जा रही हैं।

**नागरिक केन्द्रित सेवाएं—**

कई राज्य सरकारों ने नागरिकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए **एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र** शुरू किया गया है।

**उमंग (UMANG-Unified mobile Application for new age Governance)**

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-शासन डिवीजन द्वारा विकसित **उमंग** सभी भारतीय स्तर पर

ई-सेवा तथा अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए एकल मंच प्रदान करता है। ये सेवाएं केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों की अन्य सेवाओं तक फैली है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहाँ नागरिक कई सरकारी सेवाओं के लिए एप्लीकेशन इंस्टाल कर सकता है।

कुछ ऐसी पहलों में उत्तर प्रदेश की लोकवाणी शामिल है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करने और कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से शिकायत करने के लिए पंद्रह दिनों के भीतर उसका समाधान पाने में मदद करती है।

**वास्तविक समय शासन (रियल टाइम गवर्नेन्स)** पहल के हिस्से के रूप में एकीकृत शिकायत निवारण चैनल भी है। इस चैनल को पीपुल फर्स्ट या पुनर्वाचन चण्डवअण्पद कहा जाता है और पीपुल फर्स्ट मोबाइल ऐप भी सितम्बर २०१७ में लॉन्च किया गया। इसके अलावा शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए केरल में ई परिहरण भी शुरू किया गया है।

**प्रगति (PRAGATI- Pro-Active Governance and Timely Implimentation)**

प्रगति प्लेटफार्म जैसे सहयोगी तंत्र और सोशल मीडिया के कारण भी शिकायत निपटारा तंत्र के सिलसिले में टेक्नोलॉजी इंटरफेस को मजबूत बनाने में नई दिलचस्पी पैदा हुई है<sup>33</sup>। इस बात की पड़ताल जरूरी है कि क्या राज्यों से जुड़ी सभी शिकायतें उन्हें भेजी जाती है या नहीं अगर इन

शिकायतों को भेजा जाता है तो क्या जबाव का इंतजार किया जाता है या एक साथ निपटारा होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अपनाने के बाद सरकार ने विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रत्यक्ष लाभी हस्तांतरण योजना के तहत (distbharat.gov.in) रसोई गैस और खाद्य सब्सिडी देने की योजना पहले ही शुरू कर दी गई है प्रधानमंत्री जन धन योजना भी आधार से जोड़ने पर ज्यादा प्रभावी हो गई है।

**ईताल** के तहत, जो ई गवर्नेन्स परियोजनाओं के इलेक्ट्रानिक्स लेन-देन का प्रसार करने वाला एक वेब पोर्टल है कैलेण्डर वर्ष २०१७ में ३५०० से अधिक सेवाओं में ३० अरब से अधिक लेन-देन किया गया है। अगले १५ वर्षों में भारत को उस शासन व्यवस्था में पहुँचना चाहिए जहाँ सेवा मानक दुनिया में सर्वोत्तम है। नागरिकों के लिए सभी सरकारी सेवाओं (जी २ सी सेवाओं) को ऑनलाइन चलाना चाहिए। व्यापक प्रसार और नागरिकों को अपने अधिकारों और शिकायत निवारण के अवसरों के बारे में जागरूकता के दृष्टिकोण को समझाने के लिए जागो ग्राहक जागो जैसी पहल मुख्य आधार बने। इसके अलावा, फोफोनईटी स्कीम के अंतर्गत सभी उपभोक्ता मंचों को कम्प्यूटरीकृत करके नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए ताकि सूचना के ऑनलाइन प्रसार को सक्षम किया जा सके और मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित किया जा सके<sup>34</sup>।

## लोक शिकायत समाधान : सुशासन की चुनौतियाँ—

जनशिकायतों को किसी भी प्रणाली में देश के शासन का अहम संकेतक होता है। शिकायतों की मौजूदगी कई क्षेत्रों में होती है। सरकारी संस्थानों मसलन विभिन्न मंत्रालयों एवं केन्द्र और राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय स्तर के विभागों में भी शिकायत का दायरा होता है। अलग-अलग शिकायतों से जुड़े संबंधित पक्षों में जन प्रतिनिधि, प्रशासक, प्रबंधक, नियोक्ता, नियामक सेवा प्रदाता, सेवा का इस्तेमाल करने वाले और संविधान और कानून प्रणाली के तहत अधिकार हासिल करने वाले नागरिक शामिल है। इसके अलावा ये सेवाएं नहीं दिए जाने या स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारों शिक्षा और बैंक, संचार जैसी अन्य सेवाएं से भी संबंधित हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से फैलने, इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ने और शिकायत निपटारा तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ने से पिछले कुछ सालों में सी.पी.जी.आर.ए.एम. एस. अभियान का उपयोग काफी बढ़ा है। शिकायतें लेने के लिए डी.ए.आर.पी.जी. और डी.पी.जी. के अलावा पी.एम.ओ. भी नोडल एजेंसी बन गया है। ऐसी शिकायतों की संख्या में २०१४ मुकाबले अब तक सात गुना बढ़ोत्तरी हुई है। शिकायतों की श्रेणी या कैटेगरी का इस्तेमाल आमतौर पर नोडल एजेंसिया द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री के स्तर पर इस बात को पक्का करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है कि लंबित मामले कम हो और शिकायतों के निपटारे में लगने वाला वक्त घटकर एक महीना हो जाए। २३ मार्च २०१६ को प्रगति

संवाद के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें हासिल करने वाले २० मंत्रालयों व विभागों के लिए डी.आर.पी.जी. की तरफ से किए गए काम का विश्लेषण किया गया। शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए मंत्रालयों व विभागों को अपनी नीतियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा कर उन्हें दुरुस्त बनाने का निर्देश दिया गया<sup>३५</sup>।

## जनशिकायतें—

जन शिकायतें उन समस्याओं और चुनौतियों को प्रतिबिम्बित करती है जिनसे सेवाओं की डिलीवरी और प्रशासन से जुड़े संस्थान जूझ रहे हैं। ये उन समस्याओं से निपटने का भी मौका मुहैया कराती है जो भविष्य में जन असंतोष के रूप में सामने आ सकते हैं। शिकायतों के बारे में जागरूकता इनसे असरदार तरीके से निपटने की पहली शर्त है। चूंकि सभी शिकायतें औपचारिक शिकायत निपटारा तंत्र से जुड़े नहीं होते हैं और संचार की बाधा सत्त के ढांचे और संपर्क से जुड़ी होती है। लिहाजा संचार के अनौपचारिक माध्यमों से मिली शिकायतों का ध्यान रखना जरूरी है। इससे शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है<sup>३६</sup>।

## भारत में नागरिक घोषणापत्र—

नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो सेवाओं के स्तर सूचना, पसंद और सलाह, गैर भेदभाव, शिकायत निपटारा, वैल्यू फार मनी आदि के लिए अपने नागरिकों के प्रति संगठन या संस्थान की प्रतिबद्धता की कोशिश को दर्शाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भारत ने दिल्ली सरकार के १० नागरिक घोषणापत्रों और केन्द्र



सरकार के दो विभागों का अध्ययन किया। इसके आलावा हर नागरिक का आम सहमति के आधार पर नागरिक घोषणापत्र तैयार किया जाए जो व्यवहारिक हो और जिसका लक्ष्य हासिल करने लायक हो<sup>३७</sup>।

पारदर्शिता सुशासन के आवश्यक तत्वों में से एक है। सूचना का अधिकार नागरिकों को यह अवसर देता है कि सरकारी रिकार्डों को जान सके सरकारी कार्यशैली के बारे में जानने से नागरिकों के सुशासन के प्रति बोध व भागीदारी में भी वृद्धि होती है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है सूचना का अधिकार सुशासन की अनिवार्य जरूरत है<sup>३८</sup>। जितनी अधिक मात्रा में नागरिकों को सरकारी सूचना सुलभ होगी उतनी ही अधिक सामुदायिक जरूरतों के प्रति सरकारी पद्धति की प्रतिक्रियाशीलता अधिक होगी। सूचना के बिना लोग अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते<sup>३९</sup>।

इस अधिनियम के पारित हो जाने से शासन में नागरिकों की प्रत्यक्ष और सीधी सहभागिता बढ़ी है। अब आम नागरिक एक आवेदन के माध्यम से सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ भी जान सकता है। सूचना का अधिकार के आने से प्राशासनिक कार्यकुशलता के स्तर में सुधार हुआ है जो प्रशासन को और अधिक चुस्त और सक्रिय बनाने में सहयोग करेगा<sup>४०</sup>। निर्वाचन प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने और मतदाता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सूचना के अधिकार का अत्यंत महत्व है। भ्रष्टाचार और गोपनीयता एक ही सिक्के के दो पहलू है जहां गोपनीयता रहेगी वहां पारदर्शिता होगी वहां भ्रष्टाचार के लिए जमीन तलाशना मुश्किल होगा।

संदर्भ—

1. सुनील गुप्ता सुशासन, राष्ट्रीय न्यास भारत नई दिल्ली पृ. १२
2. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, लोकप्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार नेशनल पॉब्लिसिंग हाउस ०३ दरियागंज नई दिल्ली ट्रस्ट ६३-६७
3. नन्दलाल राजनीति विज्ञान, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी
4. शेखर आर.सी. : Ethics-The Other Name of good Governanc, IJPA, 1998. P. 355
5. अवस्थी एवं महेश्वरी, लोक प्रशासन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पृ. ८५
6. सुभाष कश्यम, क्राइम करप्शन एण्ड गुडगवर्नेन्स १९९७ पृ. ११३
7. भवानी सेन गुप्ता, इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ गर्वनेन्स १९९६ पृ. १२
8. डे. बी.के:- Defining Good governance, Article Published in IJPE, 1998 P. 412
9. राजेश मिश्रा, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, ओरियन्ट ब्लैकस्वान हैदरबाद पृ. ४०८
10. नन्दलाल, राजनीति विज्ञान शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी पृ. १७०
11. अवस्थी एवं महेश्वरी लोक प्रशासन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पृ. ८५
12. डॉ. ए.के. शुक्ला, गुडगवर्नेन्स ए जरनल ऑफ ऐशिया फॉर डैमोक्रेसी डब्लपमेन्ट बाल्यूम नम्बर ४ अक्टूबर-दिसम्बर २००६ पृ. २४३
13. सुनील गुप्ता सुशासन, राष्ट्रीय न्यास भारत नई दिल्ली पृ. १२
14. उपरोक्तानुसार
15. <http://hd.handne.net/10603/147385>
16. सुनील गुप्ता सुशासन राष्ट्रीय न्यास परिषद नई दिल्ली
17. डॉ. एन.के. तिवारी, गुडगवर्नेन्स एण्ड सेल ऑफ ब्यूरोक्रेसी: भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शोध पत्रिका मुरैना मध्यप्रदेश पृ. २०२
18. [www.upc notes.in /policy class/](http://www.upc notes.in /policy class/)

19. खेरा, एस.एस., डिस्ट्रिक्ट एडमिनेस्ट्रेशन इन इंडिया, पृ. १-३
20. मुखर्जी, बी. कम्युनिटी डेवलेपमेंट इन इंडिया, पृ. ५५-६७
21. सुनील गुप्ता २०१६ सुशासन, बंसतकुंज नई दिल्ली पृ. १६
22. उपरोक्तानुसार
23. [www.hindi.library.india.com/Public-adminitration/good/goverance](http://www.hindi.library.india.com/Public-adminitration/good/goverance)
24. R.C. Sekhar :The other name of good goverance IJPA 1998 P355
25. [https:// hi.m.wikipidia./wiki/सूचना का अधिकार अधिनियम २००५](https://hi.m.wikipidia./wiki/सूचना_का_अधिकार_अधिनियम_२००५)
26. सूचना का अधिकार विधि, राजपाल कटारिया ओरियंट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, पृष्ठ ०३
27. हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, अरूण पान्डेय, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ ६१
28. [www.selfstudys.com](http://www.selfstudys.com)
29. वही पृष्ठ १६.३२
30. योजना पत्रिका मार्च २०१८
31. योजना पत्रिका मार्च-२०१८
32. योजना पत्रिका मार्च-२०१८
33. योजना पत्रिका मार्च-२०१८
34. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/election c-transaction aggregation](https://en.m.wikipedia.org/wiki/election_c-transaction_aggregation)
35. योजना पत्रिका फरवरी ५०१८ पृ.१७
36. योजना पत्रिका फरवरी २०१८, पृ. २५
37. योजना पत्रिका फरवरी २०१८, पृ. ३९
38. प्रशासन एवं लोकनीति, मनोज सिन्हा, ओरियंट ब्लेकस्वान, नई दिल्ली पृष्ठ २७९
39. सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ और पारदर्शी शासन तंत्र, डॉ. राजकुमार सिवाच, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृष्ठ ३७
40. वही, पृष्ठ ३९

